हंसराजमूलजी

बनाम

बम्बई राज्य

[भगवती, जगन्नाथदास, जाफर इमाम, गोविन्दा मेनन और जे. एल. कपूर, जे. जे.]

अध्यादेश, की अवधि-आपातकालीन प्रावधानों के तहत घोषणा-आपातकाल की समाप्ति की घोषणा-दायरा और प्रभाव- आपातकाल की समाप्ति के बाद अध्यादेश का संचालन-भारत सरकार अधिनियम, 1935 (25 और 26 जीईओ 5 अध्याय 42) 9 वीं अनुसूची की धारा 72- भारत और बर्मा (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1940 के (3 और 4 जीईओ 6 अध्याय 33), उपधारा1(3),3 — उच्च मूल्य के बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश, 1946 (1946 का अध्यादेश सं. 3) की उपधारा 4, 7

भारत सरकार अधिनियम, 1935 की 9 वीं अनुसूची की धारा 72 के तहत: गवर्नर-जनरल, आपातकाल की स्थिति में, अध्यादेश बना सकता है और जारी कर सकता है और इस प्रकार बनाये गए किसी भी अध्यादेश की इसकी घोषणा से छह महीने तक के अंतराल के लिए, भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम के समान कानून का बल होगा। भारत और बर्मा (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम,1940 की धारा 1 (3) में यह प्रावधान किया कि धारा 72 भारत सरकार अधिनियम, 1935 की अवधि के दौरान बनाए गए अध्यादेशों के संबंध में 27 जून, 1940 से शुरू होकर, उस

अधिनियम के पारित होने की तारीख, और ऐसी तारीख के साथ समाप्त होती है जिसमें महामहिम आदेश द्वारा परिषद आपातकाल के अंत की घोषणा करती है, के रूप में प्रभाव डालती है

"इसकी घोषणा से छह महीने से अधिक के स्थान के लिए नहीं" शब्दों को हटा दिया गया था।

अपीलार्थी क़ो उच्च मूल्य का बैंक नोट(विमुद्रीकरण) अध्यादेश, 1946 की धारा 4 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 11 जुलाई, 1953 को अभियोजित किया गया था। 12 जनवरी, 1946, भारत के गवर्नर-जनरल द्वारा अध्यादेश घोषित किया गया था, लेकिन 1 अप्रैल, 1946 को एक ऑर्डर इन काउंसिल भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया असाधारण रूप से जिसके अनुसार भारत और बर्मा (आपातकाल प्रावधान) अधिनियम, 1940 में संदर्भित अवधि के आपातकाल की अवधि को 1 अप्रैल को समाप्त घोषित किया गया था। अपीलार्थी ने यह तर्क दिया कि प्रश्नगत अध्यादेश उस तारीख को लागू नहीं था जब कथित रूप से अपराध किया गया था, इसलिए अभियोजन पोषणीय नहीं है, क्योंकि (1) अध्यादेश की घोषणा आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग में की गयी थी जिससे यह दिनांक 1 अप्रैल, 1946 को स्वतः समाप्त हो गयी थी जब यह घोषणा की गयी थी कि आपातकाल समाप्त हो गया था। (2) भारत सरकार अधिनियम, 1935 की अनुसूची 9 की धारा 72 को 1 अप्रैल, 1946 को पुनःसंस्थित कर दिया गया, दिनांक 01 अप्रैल, 1946 के पश्चात किसी को अध्यादेश के जारी रहने

को उचित ठहराने के लिए इसकी शर्तोंं को वैसे ही देखना चाहिए जैसे वे मूल रूप से थी।

अभिनिर्धारित, धारा 1 (3) भारत और बर्मा (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1940 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम, 1935 की अनुसूची 9 की धारा 72 से "इसकी घोषणा से छह महीने से अधिक के स्थान के लिए नहीं" शब्दों के विलोपन पर समतुल्य अध्यादेशों का वही प्रभाव रहा जो 27 जून, 1940 और 1 अप्रैल, 1946 के बीच प्रख्यापित किए गए थे, जो अधिनियम भारतीय विधानमंडल द्वारा बिना किसी समय की सीमा व अवधि के पारित किए गए और इसलिए जब तक वे निरस्त नहीं हो जाते, तब तक जारी रहते हैं।

हालांकि 1 अप्रैल, 1946 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 की अनुसूची 9 की धारा 72 को उस के मूल रूप में पुनर्स्थापित किया गया था, उस तारीख के बाद विचाराधीन अध्यादेश की निरंतरता का निर्धारण धारा की शर्तों को ध्यान में रखते हुए किया जाना था क्योंकि इस तरह से पुनर्स्थापित धारा के पूर्वव्यापी संचालन को उचित ठहराने के लिए कुछ भी नहीं था।

जे. के. गैस प्लांट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (रामपुर) लिमिटेड और अन्य बनाम किंग एम्पायर, **[1947]** एफ. सी. आर. **141,** पर निर्भर थे।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं. 93 वर्ष 1956

बंबई उच्च न्यायालय की आपराधिक अपील सं. 156 वर्ष 1955 के आदेश व निर्णय दिनांक 14 अप्रैल,1955 और पुनरीक्षण आवेदन संख्या 435 वर्ष 1955 जो न्यायालय अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, बम्बई, के मामले संख्या 9/पी वर्ष 1954 का 3 जनवरी, 1955 का निर्णय से विशेष अनुमति द्वारा अपील

अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, बम्बई, के मामले संख्या 9/पी वर्ष 1954 में।

पुरुषोत्तम त्रिकुमदास, जे. बी. दादाचंजी, एस. एन. और

ली और रामेश्वरनाथ अपीलार्थी की ओर से ।

सी. के. दफ्तरी, सॉलिसिटर-भारत के महाधिवक्ता,

पारेस ए. मेहता और आर. एच. ढेबर प्रत्यर्थी की ओर से।

12 फरवरी 1957 न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

जे. भगवती – संविधान के अनुच्छेद में 136 विशेष अनुमति के साथ इस अपील में यह सवाल उठाया गया है कि क्या भारत के गवर्नर-जनरल द्वारा 12 जनवरी, 1946 को घोषित उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश, 1946 (अध्यादेश सं. 1946 का तीसरा) 11 जुलाई, 1953 को लागू था, जब अपीलार्थी द्वारा धारा 7 सपठित धारा 5 का अपराध किया गया था।

अपीलार्थी जो अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट बॉम्बे, की अदालत, में अभियुक्त संख्या 1 था को आरोपी नं. 2, 3,5 और 6 के साथ के साथ आरोपित किया गया था कि 11 जुलाई, 1953 को या उसके आसपास, 10 उच्च मूल्य के बैंक नोट रुपये जिनका मूल्य 1,000 प्रत्येक को एक वेलजी लखमशी जोशी को रु 180 रुपये प्रति नोट की दर से 180 नोट बिक्री द्वारा हस्तांतरित किए गए और इस प्रकार अध्यादेश की धारा 4 प्रावधानों का उल्लंघन किया और प्रकार अध्यादेश की धारा 7 सपठित धारा 109 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध किया।

अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा प्रारंभिक आपत्ति के रूप में निवेदन किया गया कि उक्त अध्यादेश उस तारीख को लागू नहीं था जब अपराध का आरोप लगाया गया था और इसलिए अभियोजन पोषणीय नहीं था। यह आपत्ति विद्वान प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज की गई और साथ में अपीलार्थी व सहअभियुक्त का मुकदमा उन पर लगाए गए अपराध के आरोप में दोषसिद्धि में समाप्त हुआ। अपीलार्थी को 8,000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना के व्यतिक्रम में छह महीनों के कठोर कारावास सजा सुनाई गई थी और अपीलार्थी व सह-अभियुक्त को जुर्माने की अलग-अलग सजाएं दी गईं, जिसका उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है

अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय बॉम्बे में एक अपील आपराधिक अपील सं. 156 वर्ष 1955 प्रस्तुत की बंबई राज्य ने भी सजा बढ़ाने के लिए एक आवेदन दायर किया, जो आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 435 वर्ष

1955 था। अपीलार्थी व सह-अभियुक्त ने भी अपनी दोषसिद्धि और उन पर लगाए गए जुर्माने की सजा के खिलाफ अपील दायर की थी और इन सभी अपीलों और प्रतिवादी के आवेदन पर उच्च न्यायालय की एकखंड पीठ द्वारा एक साथ सुनवाई की गई थी। उच्च न्यायालय ने विद्वान प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के इस तथ्य के संबंध में में पता लगाने पर सहमति व्यक्त की और यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने वास्तव में से रु. 1,000 के नोट को वेलजी लखमशी के कब्जे में बिक्री द्वारा हस्तांतरित किए गए और उसका कृत्य अध्यादेश की धारा 4 के तहत निषेध की श्रेणी में आता है। उच्च न्यायालय ने इन तर्कों को भी खारिज कर दिया कि अध्यादेश 11 जुलाई, 1953 से पहले व्यपगत और समाप्त हो गया जिस तारीख को अपराध किया गया था। तदनुसार विद्वान अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ दर्ज दोषसिद्धि की पुष्टि की। सजा बढ़ाये जाने के संबंध में उच्च न्यायालय ने कोई आधार नहीं देखा और विद्वान प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध पारित 8,000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना के व्यतिक्रम के रूप में छह महीने के कठोर कारावास सजा की पुष्टि की।

अपीलार्थी ने संविधान के अनुच्छेद 134 (1) (c) के तहत प्रमाण पत्र के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किया, हालांकि उक्त आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, परिणामस्वरूप उसने अदालत में

संविधान के अनुच्छेद 134 (1) (c) के तहत विशेष अनुमति आवेदन किया और प्राप्त किया।

इस अपील का निर्णय ने भारत सरकार का अधिनियम, 1935 की 9 वीं अनुसूची की धारा 72 व भारत और बर्मा (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1940 की (25 और 26 जीईओ 5 अध्याय 42) और धारा 1(3) में गठन पर बदल जाता है।

भारत सरकार का अधिनियम, 1935 की 9 वीं अनुसूची की धारा 72 निम्नानुसार हैः

" गवर्नर-जनरल,आपातकाल में ब्रिटिश भारत या किसी भी हिस्से की अच्छी सरकार की शांति के लिए अध्यादेश बनाएँ और जारी करें और, और इस प्रकार बनाया गया कोई अध्यादेश इसके घोषणा से छह महीने तक की अवधि के लिए भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित एक अधिनियम के रूप में कानून के समान प्रभावी होगा। लेकिन इस धारा के तहत अध्यादेश बनाने की शक्ति भारतीय विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति के प्रतिबंध के अधीन हैं और इस धारा के तहत बनाया गया कोई भी अध्यादेश भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा अस्वीकृति के अधीन है, औरनियंत्रित किया जा सकता है या ऐसे किसी भी अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

भारत और बर्मा (आपातकाल प्रावधान) अधिनियम, 1940 की धारा 1 (3) निम्नानुसार थाः

" भारत सरकार अधिनियम की धारा 72, (जो, भारत सरकार अधिनियम, 1935 की नौवीं अनुसूची में उल्लिखित है, आपातकाल के दौरान गर्वनर जनरल द्वारा अध्यादेश बनाने की शक्ति) इस अधिनियम की धारा तीन में विनिर्दिष्ट अवधि, के प्रभाव जैसे कि शब्द "इसकी घोषणा के छह महीने बाद से अधिक अवधि के लिए नहीं" विलोपित किया गया, और इसके बावजूद उक्त धारा 72 में प्रावधान इसके तहत अध्यादेश भारतीय विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति के समान प्रतिबंधों के अधीन है-

(क) अध्यादेश, उक्त अवधि के दौरान, - सेना अधिनियम, वायु सेना अधिनियम, या नौसेना अनुशासन अधिनियम को प्रभावित करने वाली उस धारा के तहत बनाया गया, और

(ख) भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 111 (जिसमें कुछ भारतीय कानूनों से ब्रिटिश विषय को छूट दी गई है) उस अवधि के दौरान उक्त धारा 72 के तहत बनाए गए किसी भी अध्यादेश पर लागू नहीं होंगे।

ऊपर उल्लिखित धारा 3 में निम्नलिखित शर्तों थी

> " पूर्ववर्ती धाराओं में निर्दिष्ट अवधि वह अवधि है जो इस अधिनियम के पारित होने की तारीख से शुरू होती है और ऐसी तारीख के साथ समाप्त होती है जिसे महामहिम, परिषद के आदेश द्वारा आपातकाल समाप्त होने के समय इस अधिनियम समाप्त होने की घोषणा कर सकते हैं।"।

भारत और बर्मा (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम,1940 को 27 जून, 1940 को पारित किया गया था और जोभारत और बर्मा सरकार के संबंध में आपातकालीन प्रावधान बनाए जाने के संबंध में था। 1 अप्रैल, 1946 को "भारत व बर्मा (आपातकाल की समाप्ति) आदेश, 1946 " के नाम से असाधारण रूप से परिषद् में महामहिम का आदेश भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। उक्त आदेश द्वारा संदर्भित आपातकाल की अवधि को भारत और बर्मा (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1940 के अनुसार 1 अप्रैल, 1946 को समाप्त घोषित किया गया था। इस प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 3 में निर्दिष्ट अवधि का 27 जून, 1940 से 1 अप्रैल, 1946 तक विस्तार किया गया। प्रश्नगत अध्यादेश 12 जनवरी, 1946 को जारी किया गया था और इसलिए उक्त अवधि के भीतर था।

अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील इन प्रावधानो के आधार पर हमारे सामने तर्क प्रस्तुत किया गये कि (क) जैसे ही आपातकाल समाप्त होने की घोषणा 1 अप्रैल, 1946 को की गई थी, मूल स्थिति को बहाल कर दिया गया था और विचाराधीन अध्यादेश जो आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था, आपातकाल समाप्त होने की घोषणा होने पर वास्तव में समाप्त हो गया था, (ख) वैकल्पिक रूप से भारत सरकार अधिनियम, 1935 की 9 वीं अनुसूची की धारा 72 को 1 अप्रैल, 1946 से इस प्रकार बहाल किए जाने के बाद, किसी को अध्यादेश के जारी रहने को उचित ठहराने के लिए इसकी शर्तोंं को वैसे ही देखना चाहिए जैसे वे

मूल रूप से थी। चाहे 1 अप्रैल, 1946 के बाद प्रश्नगत अध्यादेश घोषित किया गया हो। इस स्तर पर यह देखना उपयोगी होगा कि विधायी उपायों को लागू करने के लिए भारत सरकार अधिनियम, 1935 में प्रदान की गई योजना क्या थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिनियम में भारत संघ की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। भाग II, अध्याय 3 संघीय विधानमंडल के गठन के लिए प्रावधान किया गया था जिसमें दो कक्ष शामिल थे जिन्हें क्रमशः राज्य परिषद और विधानसभा के रूप में जाना जाता था। सामान्य विधायी प्रक्रिया के लिए संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा एक विधेयक को पारित करने की आवश्यकता थी और इसके लिए गवर्नर-जनरल द्वारा सहमति दी गई थी। संघीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण था और संघीय विधानमंडल को पूरे ब्रिटिश भारत या किसी भी हिस्से के लिए या किसी भी संघीय राज्य के लिए गणना किए गए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति के साथ निवेश किया गया था।

संघीय विधायी सूची और समवर्ती विधायी सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले में। हालाँकि संघीय विधानमंडल को शक्ति दी गई थी कि यदि गवर्नर-जनरल अपने विवेक से "आपातकाल की घोषणा" द्वारा प्रांतीय विधायी सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में किसी प्रांत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाता हैं, जब गंभीर आपातकाल द्वारा

चाहे युद्ध या आंतरिक अशांति द्वारा, भारत की सुरक्षा को खतरा हो। तब विधायी उपायों को लागू करने के लिए संघीय विधानमंडल को शक्तियां थीं।

हालाँकि, गवर्नर-जनरल को भाग 2 अध्याय 4 में कुछ विधायी शक्तियाँ प्रदत की गई इ है। यदि किसी भी समय जब संघीय विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो ओर वे संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद है कि उनके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है तो उन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इस प्रकार प्रख्यापित अध्यादेशों का वही बल और प्रभाव था जो गवर्नर-जनरल द्वारा अनुमोदित संघीय विधानमंडल के अधिनियमों का था। लेकिन ऐसा प्रत्येक अध्यादेश विधानमंडल की पुनः सभा से छह महीने की समाप्ति पर कार्य करना बंद कर देगा। इसी तरह की शक्ति गवर्नर-जनरल को अध्यादेश जारी करने के लिए प्रदान की गई थी कि यदि किसी भी समय वह संतुष्ट था कि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हैं जिससे वह अपने कार्यों का संतोषजनक ढंग से निर्वहन कर सके जहाँ तक वह अपने व्यक्तिगत निर्णय में स्वविवेक का प्रयोग कर सकता था।

ऐसे अध्यादेशों में गवर्नर-जनरल द्वारा अनुमोदित संघीय विधानमंडल के अधिनियमों के समान बल और प्रभाव था और उसे ऐसी अवधि के लिए संचालन में बने रहना था जो छह महीने से अधिक नहीं थी, जो उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है, लेकिन उप अध्यादेशों से उसको छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। गवर्नर-

जनरल को भी शक्ति प्रदान की गई थी कि यदि किसी भी समय उन्हें यह प्रतीत होता था कि उन्हें अपने कार्यों का संतोषजनक ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से जहां तक उन्हें अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता थी या अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करते हुए यह आवश्यक था कि कानून लागू करने के लिए द्वारा प्रावधान किया जाना चाहिए।

गवर्नर-जनरल अधिनियम जो जब अधिनियमित किया गया था उसको गर्वनर-जनरल द्वारा अनुमोदित संघीय विधानमंडल अधिनियमों के समान बल और प्रभाव था। गवर्नर-जनरल को विशेष विधायी शक्तियाँ प्रदान की गयी थी जो उसके द्वारा तब प्रयोग की जा सकती थी, जब सामान्य विधायी प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया जा सके। हालाँकि यह ध्यान देने योग्य है कि चाहे जो भी और किसी भी परिस्थिति में गवर्नर-जनरल में निहित विधायी शक्तियाँ जिनका उनके द्वारा प्रयोग किया गया, गवर्नर-जनरल के अधिनियम जो इस प्रकार अधिनियमित किए गए और इस प्रकार घोषित किए गए अध्यादेश, संघीय विधानमंडल अधिनियमों के साथ समान थे, जिनके संबंध में गवर्नर-जनरल द्वारा सहमति दी गई।

भाग XIII में संक्रमणकालीन प्रावधान अधिनियमित किए। एक अवधि के बीच समय बीतने के लिए बाध्य अधिनियम का भाग III जो राज्यपाल के प्रांत और संघ की स्थापना से संबधित था की शुरूआत तथा अधिनियम की धारा 317 भारत सरकार अधिनियम के 9 वीं अनुसूची में निर्धारित कुछ

प्रावधान व उन पर परिणामी संशोधनों के साथ संघ की स्थापना होने तक जारी रहा। ऊपर उद्धृत 9 वीं अनुसूची की धारा 72 शीर्षक के तहत "भारतीय विधानमंडल "का हिस्सा बना। और गर्वनर जनरल को ब्रिटिश भारत की सरकार या इसके किसी हिस्से में आपातकाल के हालात में शांति और भलाई के लिए अध्यादेश जारी करने व बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इस प्रकार गवर्नर-जनरल को प्रदत शक्तियों द्वारा घोषित अध्यादेश उनकी घोषणा की तारीख से छह महीने तक की अवधि के लिए संचालन में होना था ओर भारतीय विधायिका द्वारा पारित अधिनियमों के रूप में कानून की समान शक्ति थी। भारतीय विधानमंडल द्वारा भारत सरकार अधिनियम में निर्धारित सामान्य विधायी प्रक्रिया में पारित अधिनियमों के साथ भी तुलना की गई थी।भले ही गवर्नर-जनरल का अधिनियम और उनके द्वारा घोषित अध्यादेशों की संघीय विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों के साथ बराबरी की गई। फिर भी भारतीय विधानमंडल को यथास्थिति, इसकी अवधि निर्धारित करनी थी। प्रत्येक कानून जिसके लिए कोई समय सीमित नहीं है उसे एक अधिनियम कहा जाता है, और इसकी अवधि प्रथम दृष्टया निरंतर है। यह तब तक लागू रहता है जब तक कि निरस्त न किया जाए। (जरिये केटीस संविधि कानून पर, 5 वीं संस्करण पेज 374 हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, हैल्शम संस्करण, खण्ड. XXXI, पेज 511 पैरा 664.) यदि किसी अधिनियम में एक परंतुक केवल एक निश्चित अवधि के लिए लागू रहेगा तो, इसे अस्थायी अधिनियम कहा जाता है। यह परिणाम न केवल शर्तों का पालन स्वयं करेगा बल्कि यह भी अभिप्रेत होगा कि यह केवल एक

अस्थायी उपाय के रूप में है। यह अनुपात आपातकालीन उपायों पर लागू होता है जो आपातकाल के निर्वाह के दौरान जारी रहते है, ओर इसकी समाप्ति के साथ समाप्त हो जाता है। इसलिए यह तर्क दिया गया था कि आपातकाल के तहत निहित शक्तियाँ में गवर्नर-जनरल द्वारा घोषित अध्यादेश का आपातकाल के दौरान संचालन होगा लेकिन आपातकाल समाप्त होने की घोषणा के बाद काम करना बंद कर देंगें। इस मामले में हमारे सामने विचाराधीन अध्यादेश आपातकालीन निहित शक्तियों के प्रयोग में गर्वनर जनरल द्वारा भारत सरकार अधिनियम, 1935 की 9 वीं अनुसूची की धारा 72 के तहत जारी किया गया था और यह आग्रह किया गया कि इस प्रकार घोषित अध्यादेश भारत और बर्मा (आतापकालीन की समाप्ति), आदेश 1946 आपातकाल समाप्त होने की घोषणा दिनांक 1 अप्रैल 1946 के बाद इसका संचालन बंद हो जाएगा। धारा 1 (3) भारत और बर्मा (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1940"छह माह से कम समय के लिए उदघोषणा" को धारा 72 द्वाराहटा दिया गया है।

इस विवाद के समर्थन में सी. जे. वरदाचारियार के किंग एम्पायर बनाम बेनोआरी लाल शर्मा और अन्य[1]में पारित अवलोकन पर विश्वास किया गयाः

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि अध्यादेश द्वारा बनाया गया कानून और सामान्य विधान के समान प्रभाव को देखते हुए दोनों मामलों में समान विषयवस्तु है। लेकिन दो बुनियादी अंतर बिंदु हैं - जिसका वर्तमान

प्रश्नन पर भौतिक प्रभाव पड़ता है, प्रश्नः एक यह है कि संविधान अधिनियम की नौवीं अनुसूची की धारा 72 द्वारा अध्यादेश के संचालन एक अवधि छह महीने तक सीमित है (और अब भी यह केवल अस्थायी है, हालांकि विशेष सीमा हटा दी गई है), और दूसरी बात, यह स्पष्ट रूप से एक विशेष शक्ति का प्रयोग है जिसका उद्देश्य आपात स्थिति का सामना करने के लिए है।

जफरुल्ला खान जे. ने भी किंग एम्पायर बनाम शिबनाथ बनर्जी[1] में समान प्रभाव को व्यक्त किया था

> " विधायिका किसी भी समय एक उपाय लागू कर सकती है और इस तरह के उपाय किसी भी समय की सीमा बिना लागू रह सकते हैं, लेकिन अध्यादेश बनाने की शक्ति का प्रयोग दाे प्रकार से सीमित है (i) उन परिस्थितियों की सीमा जिसमें यह प्रयोग हो सकता है, (ii) दो में इस प्रकार की समय की सीमा से जिसके दौरान इस प्रकार अधिनियमित कोई भी उपाय बना रह सकता है। आपातकाल का अस्तित्व शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती स्थिति है। तथ्य यह है कि न्यायालय अध्यादेश बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा बनाया गए आपातकाल की घोषणा के पीछे नहीं जा सकता है, इस प्रश्न को प्रभावित नहीं कर सकते। केवल ओर केवल आपातकाल में ही अभिप्रेत शक्ति का लाभ उठाया जा

सकेगा जबकि सामान्य कानून में ऐसी किसी भी सीमा से शासित नहीं है। इसी तरह, एक अध्यादेश आवश्यक रूप से सीमित अवधि का है, चाहे धारा 72 या भारत और बर्मा (आपातकालीन प्रावधान) 1940 का अधिनियम " की शर्तों के तहत हो।

तदनुसार हमारे सामने एक तर्क प्रस्तुत किया गया था कि भले ही विचाराधीन अध्यादेश भारत और बर्मा (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1940 की धारा 3 में निर्दिष्ट अवधि अर्थात् 27 जून, 1940 और 1 अप्रैल, 1946 के बीच के दौरान प्रख्यापित और भारत सरकार अधिनियम, 1935 की 9 वीं अनुसूची की धारा 72 " छह महीने से कम समय के लिए घोषणा " शब्दों को छोड़ कर पढ़ा जाना था वहाँ से, इस तरह की चूक का प्रभाव अध्यादेश समाप्त हो गया या उस पर अमल बंद हो गया, 1 अप्रैल, 1946 को घोषणा की गई थी कि आपातकाल समाप्त हो गया था।

हालाँकि यह तर्क इस तथ्य की अनदेखी करता है कि गवर्नर-जनरल का अधिनियम में जो भी लागू किया गया था या

उनके द्वारा उन्हें प्रदान की गई विशेष विधायी शक्तियाँ व भारत सरकार अधिनियम, 1935 की 9 वीं अनुसूची की धारा 72 के तहत आपातकालीन शक्तियाँ के प्रयोग में जारी किए गए सभी अध्यादेश संघीय विधानमंडल व भारतीय विधानमंडल के अधिनियमों के बराबर थे आैर जैसा भी मामला हो, गवर्नर-जनरल द्वारा सहमति दी। अगर किसी

अधिनियमों या अध्यादेशों में कोई समय सीमा पाई जाती है तो वो प्रभावी होगी। लेकिन अगर अधिनियम में कोई समय सीमित नहीं था तब स्वयं अपनी अवधि के लिए इसे तब तक लागू रहना था जब तक कि इसे निरस्त न कर दिया जाता। भारत और बर्मा (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1940 की धारा 1(3) के संचालन से शब्द "इसकी घोषणा से छह महीने से अधिक के समय के लिए नहीं" अधिनियम की धारा 3 में निर्दिष्ट अवधि 27 जून, 1940 से 1 अप्रैल, 1946 के दौरान धारा 72 से हटा दिया गया था। विचाराधीन अध्यादेश की अवधि की कोई सीमा नहीं थी और भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम के कानून के समान बल रखने वाला अध्यादेश बिना किसी सीमा के लागू रहना था जब तक इसे निरस्त नहीं किया जाता। आपातकाल जिसके तहत गवर्नर-जनरल को शक्ति प्रदान की गई थी कि गवर्नर-जनरल धारा 72 के तहत प्रदत के शक्ति के प्रयोग से ब्रिटिश भारत या उसके किसी भी हिस्से की अच्छी सरकार की शांति के लिए अध्यादेश बनाएँ और जारी करें और इस अवधि में जो अध्यादेश घोषित किया गया, उस पर कोई सीमा लागू नहीं होगी। एेसे अध्यादेशों की अवधि निर्धारित करने के लिए किसी को धारा 72 के मूल प्रावधान पर ध्यान देना था जिसमें अध्यादेश का जीवन "इसकी घोषणा से छह महीने से अधिक नहीं" की सीमा अधिनियमित और निर्धारित किया गया था। अगर यह वाक्य बर्मा (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1940 की धारा1(3) में नहीं हटा दिया गये थे तो इस प्रकार घोषित अध्यादेशों उद्घोषणा छह महीने से अधिक की अवधि नहीं का होना था। भारत और

बर्मा (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1940 की धारा 1 (3) से इन शब्दों को हटा दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की 9 वीं अनुसूची की धारा 72 को निम्नानुसार पढ़ा जाएग|

" गवर्नर-जनरल, आपातकाल के दौरान ब्रिटिश भारत या उसके किसी हिस्से में अच्छी सरकार व शांति के लिए अध्यादेश बनाएँ और जारी करें, इस प्रकार बनाया उसका और किसी अध्यादेश की भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित एक अधिनियम के रूप में कानून की समान शक्ति है; लेकिन इस धारा के तहत अध्यादेश बनाने की शक्ति भारतीय विधानमंडल द्वारा कानून बनाने की शक्ति के रूप में प्रतिबंध के अधीन है और इसी तरह की अस्वीकृति में भारतीय विधानमंडल द्वारा एक अधिनियम पारित और नियंत्रित किया जा सकता है या ऐसे किसी अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

धारा 72 से इन शब्दों को हटाने का प्रभाव खंड को ऊपर के रूप में पढ़ने के लिए छोड़ना आवश्यक था, 27 जून, 1940 और 1 अप्रैल 1946 के बीच घोषित अध्यादेशों की बराबरी करने का गंभीर प्रभाव जो थे, भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों के साथ उनकी अवधि के संबंध में समय की कोई सीमा निर्धारित करें।

इस प्रकार घोषित अध्यादेश अवधि में स्थायी थे। यह तब तक लागू रहा जब तक कि उन्हें निरस्त नहीं कर दिया गया।

इस स्थिति को फेडरल न्यायालय द्वारा **जे. के. गैस संयंत्र विनिर्माण कंपनी, (रामपुर) लिमिटेड और अन्य बनाम किंग एम्पायर** [(1)] में जहां स्पेंस सी. जे. द्वारा विचार किया गयाः

" ये अध्यादेश संविधान अधिनियम की नौवीं अनुसूची की धारा 72 के तहत प्रदत शक्तियों के तहत गवर्नर-जनरल बनाए गए थे, यथासंशोधित भारत और बर्मा (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम 1940 (3 & 4) जियो। 6 अध्याय 33) व धारा 72 द्वारा अध्यादेश का जीवन उसके प्रभावी होने की तारीख से केवल छह महीने का था, यद्यपि अध्यादेश धारा 3 में निर्दिष्ट अवधि के तक सीमित थे तथापि, बशर्ते कि बनाए गए अध्यादेशों के संबंध में धारा 72 के तहत प्रभाव होना चाहिए जैसे कि शब्द "इसके उद्गम से छह महीने से अधिक अवधि के लिए" को हटा दिया गया था। अधिनियम कीधारा 3 में निर्दिष्ट अवधि वह अवधि है जो इस अधिनियम के पारित होने की तारीख से शुरू होती है और ऐसी तारीख के साथ समाप्त होती है जिसे महामहिम, परिषद के आदेश द्वारा आपातकाल के अंत के रूप में घोषित कर सकते हैं जो इस अधिनियम के पारित होने के दिवस था।" उक्त अधिनियम पारित होने की तिथि 27 जून, 1940 थी और आपातकाल 1 अप्रैल, 1946 को समाप्त होने के लिए अधिसूचित नहीं किया गया था।

अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि धारा 72 के निर्माण का वास्तविक कारण इस तरह से धारा संशोधन करें कि धारा 3 में निर्दिष्ट अवधि मूल छह महीने की अवधि के लिए अधिनियम और वह तदनुसार

उस में अवधि की समाप्ति पर अध्यादेश की अवधि में धारा 72 के संबंध में प्रतिस्थापित करने के लिए प्रभावी हो। अर्थात, 1 अप्रैल, 1946 को अधिनियम के पारित होने के बाद बनाए गए अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो गए। यह सुस्पष्ट नहीं किया गया था कि कोई इस निर्माण पर कैसे पहुंच सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह इस सुझाव पर आधारित है कि धारा 72 के तहत एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपातकाल के अस्तित्व तक सीमित खंड द्वारा थी, सी. एफ.: उप-धारा में "आपातकाल के मामलों में" शब्द, और यह कि अधिनियम को भारत सरकार और बर्मा के संबंध में आपातकालीन प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था और आपातकाल की अवधि को परिभाषित किया गया था। इसलिए जब तक अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक इन्हें जारी रखने के लिए कोई अवधि प्रदान नहीं की जाएगी। अध्यादेश, और यह विधायिका का उददेश्य नहीं हो सकता था, अध्यादेश बनाने के रूप में गवर्नर-जनरल की शक्ति को केवल अस्थायी मान्यता दी गई थी। हमारी राय में आपातकाल, होने पर अध्यादेश अलग से जारी किया जा सकता है जिनमें एक और अलग से कोई उलझन में नहीं होनी चाहिए, आपातकाल के साथ जिससे अधिनियम के पारित होने और धारा 72 पर अधिनियम के शब्दों का स्पष्ट प्रभाव पैदा किया। धारा 72 यह है कि धारा 3 में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उस उप-धारा के तहत प्रख्यापित अध्यादेश उनके अस्तित्व और वैधता के संबंध में अधिनियम की कोई समय सीमा नहीं है, जब तक कि स्वयं अध्यादेशों द्वारा या अन्य संशोधन यानि रसनकारी

विधान, चाहे अध्यादेश द्वारा या अन्य प्रकार से लागू न किया जाए। हमारे निर्णय में, यह स्पष्ट है कि द्वितीय लाहौर न्यायाधिकरण का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ था या धारा 3 में निर्दिष्ट अवधि की 1 अप्रैल, 1946 को समाप्ति के कारण अपील के तहत मामले में उसका अधिकार क्षेत्र समाप्त नहीं हुआ था।

हमारी राय में, स्पेन्स सी. जे. का उपरोक्त विवेचन ने शब्दों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है|

प्रश्न गत अध्यादेश 27 जून, 1940 और 1 अप्रैल, 1946 के बीच की अवधि के दौरान घोषित किया गया, इस अवधि में वह स्थायी था और जब तक इसे निरस्त नहीं किया गया, तब तक लागू रहा। हमारा ध्यान किसी भी बाद के अध्यादेश या भारतीय कानून के अधिनियम की ओर नहीं आकर्षित किया गया जो उक्त अध्यादेश में संशोधन या अध्यारोपित करता है। परिणाम यह है कि यह लागू है और 11 जुलाई, 1953 को अस्तित्व में था जिस तारीख को विचाराधीन अपराध अपीलार्थी द्वारा किया गया था।

इस स्थिति को भारतीय संविधान द्वारा जारी अनुकूलन कानून आदेश 1950 में मान्यता दी गई थी। उक्त आदेश की दूसरी अनुसूची में1940 और 1946 के बीच में अधिनियमित कई केंद्रीय अध्यादेश शामिल थे, जिनमें उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश, 1946 (अध्यादेश 1946 का III) जहाँ धारा 11 उनके शब्द "भाग ए राज्य और भाग सी राज्य" को"प्रांतों" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था। यह उल्लेख करने की

आवश्यकता नहीं है लेकिन इस संकलन में आने वाले अन्य अध्यादेशों के लिए यह कहना पर्याप्त नहीं है, किसी भी अध्यादेशों के संबंध में गवर्नर-जनरल जिनके द्वारा भारत सरकार अधिनियम, 1935 9 वीं अनुसूची की धारा 72 के शक्ति के प्रयोग में इस प्रकार घोषित किया गया था उसके नीचे, 1 अप्रैल, 1946 के बाद भी इसकी निरंतरता निर्धारित की गयी थी और कानून का अनुकूलन आदेश, 1950 में अनुकूलन निर्धारित किए गए थे, इसके तहत भारत का संविधान वहां लागू किया गया था।

इस स्थिति का समर्थन आगे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान 1934 (1934 का द्वितीय) अधिनियम की धारा 26 में उल्लेखित प्रावधान द्वारा भी किया जाता है

" (1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए,प्रत्येक बैंक नोट भारत में किसी भी स्थान पर वैध होगा जो भुगतान में आैर उन खातों में जिनमें राशि थी और उसकी केंद्र सरकार द्वारा गारंटी दी जाएगी।

(2) केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर केन्द्र सरकार में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भारत की ओर से यह घोषणा की कि ऐसी तारीख से प्रभावी जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की है, बैंक की कोई भी श्रृंखला किसी भी मूल्य के नोट का कोई इ भी विमुद्रीकरण अधिसूचना में निर्दिष्ट विस्तार तक किसी भी ऐसे कार्यालय या बैंकिग संस्थानों में वैध रूप से प्रस्तुत करने से रोकने की रक्षा करेगा।

अधिनियम की धारा 1 (2) के तहत जैसा कि यह लागू था, जम्मू राज्य को छोड़कर पूरे भारत में और कश्मीर। विस्तार किया गया। उच्च मूल्य के बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश, 1946 (अध्यादेश सं ।।।। 1946 का) द्वारा घोषित किया गया कि मूल्य वर्ग के नोट रु. 500 का मूल्य वर्ग मूल्य रु. 1,000 या रु. 10,000 भुगतान में या खाते में कानूनी निविदा होना ब्रिटिश भारत में कोई भी स्थान पर 12 जनवरी 1946.की समाप्ति पर बंद हो गया।आपातकाल की घोषणा के बाद भी अध्यादेश का संचालन जारी रहा जो 1 अप्रैल, 1946 को समाप्त हुआ, उक्त कानूनी निविदा के रूप में नोट अप्रभावी बने रहे। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं किए जाने के कारण भारत, हालांकि जम्मू और कश्मीर में स्थिति में इस संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ सकेगा जैसा कि ऊपर बताया गया है। लेकिन 25 सितंबर, 1956 को जम्मू और कश्मीर (कानूनों का विस्तार) अधिनियम, 1956 (1956 का LXII) लागू किया गया जो विस्तार के लिए प्रावधान करने वाला एक अधिनियम है। जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए कुछ कानूनों को संसद द्वारा पारित किया गया था। उस अधिनियम की अनुसूची में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का द्वितीय) शामिल था।" जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर" शब्दों को इसमें धारा से हटा दिया गया था। अधिनियम में 1 उप-धारा(2) और धारा 26 के बाद जोड़ा गया था।

धारा 26 ए में प्रावधान हैः

"इसके बावजूद, धारा 26 में निहित कुछ भी, 13 जनवरी, 1946 से पहले जारी पांच सौ रुपये, एक हजार रुपये या दस हजार रुपये के मूल्य का कोई भी बैंक नोट भुगतान में या उस में व्यक्त रा शि के लिए वैध मुद्रा नहीं होगी।

जम्मू और कश्मीर राज्य में कानून 13 जनवरी, 1946 से पहले जारी किए गए इन उच्च मूल्य के बैंक नोटों के संबंध में, इस प्रकार कानून इस अनुरूप लाया जाएगा जैसा कि शेष भारत में लागू था। यह निश्चित रूप से नहीं किया गया होगा, लेकिन इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए कि विचाराधीन अध्यादेश 1 अप्रैल 1946 ओर उसके बाद भी जारी रहा, ठीक 1 अप्रैल, 1946 के बाद भी पूरे समय काम कर रहा था।

हमारे सामने अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा दिया गया वैकल्पिक तर्क को माने जाने व पढ़ने को बिल्कुल आधार नहीं है क्योंकि धारा में 72 सुझाए गए तरीके से इस धारा को पूर्वव्यापी प्रभाव देने के समान होगा जैसा कि यह मूल रूप से उन अध्यादेशों के संबंध में था जिन्हें 27 जून, 1940 और 1 अप्रैल, 1946 के बीच लागू किया गया था। इस तरह के पूर्वव्यापी संचालन को उचित ठहराने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे अध्यादेशों के संबंध में उनकी अवधि धारा 72 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी थी जैसा कि वे शब्द "इसकी घोषणा से छह महीने से अधिक के अंतराल के लिए" के रूप में भारत और बर्मा

(आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1940 धारा 3 में निर्दिष्ट अवधि के दौरान से वे कमी के साथ लागू किए गए थे और विचाराधीन अध्यादेश छह महीने से अधिक के समय तक सीमित नहीं था। लेकिन प्रश्नगत अध्यादेश् इसकी घोषणा की तारीख से इसकी अवधि में इस परिणाम के साथ स्थायी था कि यह तब तक चालू रहता है जब तक कि इसे निरस्त नहीं किया जाता है। धारा 72 के प्रावधानों को 27 जून, 1940 और 1 अप्रैल, 1946 के बीच जारी किए गए अध्यादेशों की अवधि का निर्धारण करते हुए 1 अप्रैल, 1946 के बाद उनकी मूल स्थिति में बहाल किये जाने से हटाए गए शब्दों के साथ पढ़ना का कोई आदेश नहीं है ।

विद्वान वकील अपीलकर्ता द्वारा हमारे समक्ष किए गए दोनों तर्क इस प्रकार विफल हो गया है, यह कि उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश, 1946 (अध्यादेशसं. 1946 का॥।) 11 जुलाई, 1953 को लागू था, जिस तारीख को अपीलार्थी द्वारा अपराध किया गया था और अपील कर्ता को निचली दोनों अदालतों द्वारा सही ढंग से दोषी ठहराया गया था। तदनुसार अपील खारिज कर दी जाएगी।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ललित पुरोहित (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है ओर किसी अन्य उददेश्य के लिए, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक ओर आधिकारिक उददेश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा ओर निष्पादन ओर कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।